



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-03022026-269789
CG-CG-E-03022026-269789

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947

No. 451]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 2 फरवरी, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

का.आ. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5492 (अ) तारीख 08 दिसम्बर 2025 (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् गेवरारोड से पेण्ड्रारोड नई लाईन परियोजना (135.00 कि.मी.) के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (4) के अधिन 20 के अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर (हिन्दी), बिलासपुर संस्करण, 18.12.2025 एवं राष्ट्रिय विजय मेल (हिन्दी), कोरबा संस्करण, 18.12.2025 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गयाय और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप धारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं, अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ई की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह की केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ई के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

ग्राम का नाम :—दीपका, तहसील दीपका, जिला —कोरबा (छ0ग0)

क्र0	खसरा नं.	अर्जित रकबा (ह0) में	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि स्वामी का नाम
1.	450.3	0.073	—	—	केशव प्रसाद पिता धनेश्वर

कुल योग:-0.073 है.

[फा.सं. सी.ए.ओ./सि/बी.एस.पी/गेवरारोड—पेण्ड्रारोड/6]

विजय कुमार साहू, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 2nd February, 2026

(Under Section 20E of the Railway Act, 1989)

S.O. 480(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number S.O. 5492 (E), dated the **08 December 2025**, published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **GEVRAROAD to PENDRAROAD (135.00 km.)** in the state of Chattisgarh. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers, Dainik Bhaskar (Hindi) Bilaspur Edition on 18.12.2025 and Rashtriya Vijay Mail (Hindi) Korba Edition on 18.12.2025. And whereas, **No objections were received within the set time period** and disposed of by the Competant Authority under section 20D of the said Act;And, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act,the Competant Authority has submitted his report to the central Government; Now,therefore,upon receipt of the said report of the Competant Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the sechdule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; And, further, in pursuance of subsection (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Cenrral Government free from all Encumbrances.

Name of Village:- Dipka, Tahsil:- Dipka, Dist:- Korba (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Area of Acquired Land	Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner
1.	450/3	0.073	—	—	Keshav Prasad Father Dhaneshwar

Total Area – 0.073 Hectare

[F. No. CAO/C/BSP/Gevraroad-Pendraroad/6]

VIJAY KUMAR SAHU, Chief Administrative Officer (Con.)